

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

लालो राय

वनाम

राम नारायण राय

वाद संख्या-06/2013-14

वाद का प्रकार-सीमाकन

आदेश

15.11.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के धारा 4 (एच) के तहत प्रश्नगत भूमि पर के सीमाकन के लिए दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा महादेव मठ

| खाता | खेसरा | रकवा | चौहद्दी |
|------|---------|-------------------------|---|
| 98 | 565 पु0 | 10 धुर, 13 कड़ी मॉंग | उ0-वादी |
| | 581 नया | द0 से | द0-खेसरा हाजा पु0-बैद्यनाथ राय पु0-रास्ता |

प्रथम पक्षक का कहना है कि मद नं0 01 की भूमि वादी को बजरिये निबंधित केवाला संख्या-15004 दिनांक 10.12.99 कौशलेन्द्र सिंह एवं अन्य जगदीश प्रसाद सिंह से स्वयं लालो राय पिता सीताराम राय को अर्जित है एवं दखल कब्जा धारित है। वादी को मद नं0 1 की भूमि सहित अन्य अविवादी भूमि की एकजाई जमाबंदी संख्या 732 तहत लगान रसीद वर्ष 2011-12 तक प्राप्त है। पुनरीक्षण सर्वे पुर्व सम्पादित होने के कारण खतियान उनके विक्रेता के नाम इन्द्राजित वो प्रकाशित है। उक्त भूमि अर्जित अनिवार्य वो अभिधारित का आधार संदर्भित केवाला संख्या 15004 दिनांक 10.12.99 नविस्ते जगदीश प्रसाद सिंह से लालो राय को हासिल है। तत्पश्चात उसका दाखिल खारिज के जमाबंदी संख्या 732 द्वारा लगान रसीद अद्यतन उन्हे प्राप्त है। स्थल पर भौतिक दखल कब्जा है। भूमि के आर में प्रतिवादी हैं। परन्तु उन्हे कोई सरोकार नहीं हैं। एवं वह सीमा अवकमण कर नाहक विवाद करते है। प्रतिवादी के द्वारा निजी अमीन वो पंचो द्वारा मापी वो सीमाकन कर दिया गया परन्तु

C.C. Issued letter No-
514 dt. - 27.11.13.
H.A. 21/2/13

प्रतिवादी उसे मानते हुए भी तकरार करने लगे लिहाजा तकरार का स्थायी निदान हेतु भवदीय के स्तर से मापी वो सीमाकन आवश्यक हो गया है।

वहीं दुसरी तरफ विपक्षीगण का कहना है कि प्रतिवादी के भाई लक्ष्मण प्रसाद पे० गुणेश्वर राय के नाम से इस खाता खेसरा में जमीन है जबकि राम नारायण राय पे० गुणेश्वर राय को प्रतिवादी बना दिया गया है प्रतिवादी के भाई को पक्षकार नहीं बनया गया है जिससे वाद खारिज के लायक है। वाद में वर्णित भूखण्ड जिसका मौजा महादेव मठ थाना वो अंचल कु० स्थान जिला दरभंगा के खाता 98 खेसरा 505 पु० 581 नया रकवा 10 धुर प्रतिवादी के भाई का सम्पत्ति है। प्रतिवादी के भाई को यह भूखण्ड बजरिये निबंधित केवाला नविस्ते गोपी रमण प्रसाद सिंह से दिनांक 19.09.1995 ई० को प्राप्त है। निबंधन की तिथि से ही इस भूखण्ड पर प्रतिवादी के भाई का शांतिपुर्ण दखल कब्जा में चला आ रहा है। प्रतिवादी के भाई के विक्रेता के पास इस भूखण्ड का सभी वैध कागजी सबुत एवं दखल कब्जा भी था जिसे देखकर प्रतिवादी के भाई उचित जरसीमन देकर बजरिये निबंधित केवाला के द्वारा यह जमीन कय किया। प्रतिवादी के भाई को इस खाता खेसरा में एक कट्टा जमीन प्राप्त है और इतने ही रकवा पर उसका दखल कब्जा भी हैं।

दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गये गये साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि बजरिये निबंधित केवाला संख्या-15004 से सन् 1999 में प्राप्त होने की बात कही गयी है। साक्ष्य के रूप में केवाला एवं लगान रसीद की छायाप्रति संलग्न की गई है। जबकि प्रतिवादी द्वारा प्रश्नगत भूमि उनके भाई को निबंधित केवाला के माध्यम से प्राप्त होने की बात कही गई है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा वाद को पक्ष हीनता से ग्रसित होने का प्रश्न उठाया गया है परंतु प्रतिवादी के तरफ से अपने दावा के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार संलग्न कागजातों के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर वादी का दावा सही प्रतीत होता है। अतः प्रश्नगत भूमि पर वादी के दावा को सम्पुष्ट किया जाता है। वादी द्वारा सीमाकन की भी माँग की गयी है परंतु प्रश्नगत भूमि के सीमा में प्रतिवादी के होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सीमाकन की माँग को खारिज किया जाता है।

उपर्युक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

42
15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

92
15.11.13
भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल